

20.1.2020

पतावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी वकील ने प्रथिना-पत्र नोट प्रेस में
खारिज करने का निवेदन किया। स्वीकार
किया जाता है।

Not press

प्रथिना-पत्र इसी स्तर पर प्रार्थी वकील द्वारा
नोट प्रेस किए जाने से खारिज किया जाता
है। पतावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर हो।

(K.M. Tiwari)
20.1.2020

सहायक कलेक्टर
(फारस) जालोर (जालोर)

